न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या– 93/2010–11 अन्तर्गत धारा–219 भू0रा0अधि0

1– श्रीमती मंजुला देवी पत्नी श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, 2. श्रीमती एकता सिंह पत्नी श्री सुमित चोपड़ा पुत्री श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, 3. राजेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री धनसिंह निवासीगण–ग्राम पंडितवाड़ी, देहरादून।

बनाम

ग्राम सभा सुद्दौवाला द्वारा ग्राम प्रधान सुद्दौवाला, परगना पछवादून, तहसील विकासनगर, जनपद देहरादून।

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्तागण : श्री दिनेश तिवाड़ी।

अधिवक्ता राज्य सरकार : श्री विनोद कुमार डिमरी जिला शासकीयं अधिवक्ता।

निर्णय

यह निगरानी निगरानीकर्तागण उपरोक्त द्वारा परगनाधिकारी, विकासनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–09–2010 जो कि कार्यवाही संख्या–16/09–10 राजेन्द्र प्रताप सिंह आदि बनाम ग्राम सभा अन्तर्गत धारा–33/39 भू0रा0अधि0 में पारित आदेश दिनांक 08–03–2010 को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

निगरानी की संक्षिप्त पृष्ठभूमि इस प्रकार है:–

निगरानीकर्तागण/वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा–33/39 भू0रा0अधि0 दिनांक 20–07–2009 को तहसीलदार, विकासनगर, जनपद देहरादून के समक्ष प्रार्थना पत्र में उल्लिखित खाता/खसरा नम्बरान स्थित मौजा सुद्दौवाला, परगना पछवादून, तहसील विकासनगर, जनपद देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसपर जाचोंपरान्त तहसीलदार, विकासनगर ने अपनी आख्या दिनांक 03–02–2010 परगनार्धिकारी विकासनगर को प्रस्तुत की। विद्वान परगनाधिकारी, विकासनगर ने प्रार्थित दुरस्ती को स्वीकार करते हुए आदेश दिनांक 08–03–2010 पारित किया। उक्त आदेश दिनांक 08–03–2010 के सापेक्ष जिला शासकीय अधिवक्ता, राजस्व द्वारा उत्तराखण्ड सरकार की ओर से दिनांक 16–09–2010 को एक पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र उक्त आदेश एकपक्षीय रूप से पारित होने के आधार से प्रस्तुत किया गया जिसे विद्वान परगनाधिकारी ने उसी तिथि को स्वीकर कर अपने

आदेश दिनांक 08–03–2010 को निरस्त कर दिया जिसके विरूद्ध वर्तमान निगरानी प्रस्तुत की गई है।

मैंने निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता एवं जिला शासकीय (राजस्व) की बहस सुनी एवं पत्रावलियों का अध्ययन किया।

कार्यवाही पुनर्स्थापन की भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत एकपक्षीय रूप से पारित आदेश के विरूद्ध विधिक व्यवस्था धारा–201 में स्पष्ट की गई है जिसके अन्तर्गत उचित आधार पर एकपक्षीय रूप से पारित आदेश को परिवर्तित एवं वापस लिया जा सकता है यदि सम्बन्धित आवेदक अपनी अनुपस्थिति के पर्याप्त आधार दर्शित करता है एवं पारित करने वाले अधिकारी को ऐसे आदेश से न्याय के विफल होने के तथ्य से संतुष्ट कर देता है। इसी धारा के परन्तुक में यह स्पष्ट किया गया है कि बिना एकपक्षीय रूप से पारित आदेश के हितग्राही/लाभार्थी को सूचित किये एवं सुने ऐसा एकपक्षीय आदेश को न•तो पलटा जायेगा अथवा परिवर्तित किया जायेगा। यह विधिक व्यवस्था आज्ञापक (mandatory) है जिसका पालन स्पष्टतः आलोच्य कार्यवाही में पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 16–09–2010 के सम्बन्ध में नही किया गया है। अतः आक्षेपित आदेश विधिसम्मत नही है। विद्वान अधिवक्तागण के अन्य तर्क तद्नुसार इस स्तर पर प्रासंगिक नही है।

आदेश

निगरानी स्वीकर कर आक्षेपित आदेश दिनांक 16–09–2010 अपास्त किया जाता है एवं मूल कार्यवाही की पत्रावली इस आशय से प्रति प्रेषित की जाती है कि एकपक्षीय रूप से पारित आदेश के हितग्राही/लाभार्थी को सुनकर ही आलोच्य कार्यवाही के पुर्नेजीवन/पुनर्स्थापन के सम्बन्ध में विधिसम्मत् आदेश पारित किया जाए। उभयपक्ष दिनांक 29–09–2016 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होंगे तथा उक्त तिथि तक विवादित भूमि के सम्बन्ध में यथास्थिति बनाये रखेंगे। अवर न्यायालय की पत्रावली वापस व इस न्यायालय पत्रावली सँचित हो।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक **22–08–2016** को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।